न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/146/2021 रजि0 न0 2021/288

अपीलार्थीः—

श्री दुलीचन्द सैनी पुत्र कन्हैयालाल सैनी, निवासी 14, संजय नगर रेलवे स्टेशन के सामने, बोहरा का बाग अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 25.10.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 25.10.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकोरी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1938 दिनांक 14.10.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, अपीलार्थी द्वारा प्रभारी अधिकारी (लेख भण्डार) कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक जिलेभ/आरटीआई/2021/129 दिनांक 08.10.2021 से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित सूचना जिला लेख भण्डार अनुभाग में निरीक्षण प्रा0पत्र दिनांक 07.07.2021 एवं प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2021 के माध्यम से प्राप्त की जा चुकी है। अपीलार्थी कार्यालय के विनिश्चय पत्र सं0 1505 दिनांक 06.08.2021 के अनुसरण में जिला लेख भण्डार प्रकोष्ठ में रिकॉर्ड अवलोकन हेतु उपस्थित ही नही हुए है जिससे वर्णित सूचनाऐं जारी नही की जा सकी है।
5. अपीलार्थी किसी भी कार्यालय दिवस में पूर्ण विशिष्टीकृत आवेदन/प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र/निरीक्षण प्रार्थना पत्र के साथ उपस्थित होकर चिन्हित दस्तावेजात की नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा राजकोष कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर